भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-329

उत्तर दिनांक - 28/11/2024 को दिया गया

तटीय क्षेत्रों में खनिज रेत का खनन

329. श्री गोला बाबूराव

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सरकार तटीय क्षेत्र में रेडियोधर्मी तत्वों से युक्त खनिज रेत के खनन के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को अनुमति देने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) विशिष्ट क्षेत्रों में खनन गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला नियामकीय ढ़ांचा किस प्रकार कार्य करेगा, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रतिभागियों के चयन के लिए क्या मानदंड हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (ग) नहीं। तटीय क्षेत्र में रेडियोसक्रिय तत्वों युक्त समुद्र तटीय रेत खनिज (बीएसएम) खान और खनिज (विकास और नियमन) अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग बी में शामिल हैं और उनकी गतिविधियाँ परमाणु खनिज रियायत नियम (संशोधन) नियम 2019 के अनुसार नियमनों द्वारा अधिशासित रहेंगी। इसलिए, तटीय क्षेत्र में रेडियोसक्रिय तत्वों युक्त खनिज रेत के खनन के लिए निजी कंपनियों को अनुमति नहीं है।

(घ) सीआरजेड-2011/2019 अधिसूचना बाद के संशोधनों के साथ पठित, तटीय क्षेत्रों में परमाणु खनिज युक्त रेत के खनन के लिए नियामक ढांचा प्रदान करती है। पर्यावरणीय मंजूरी, सीआरजेड मंजूरी, अनुमोदित खनन योजना, स्थापित करने और प्रचालित करने की सहमति प्राप्त करने के बाद ही पट्टेदार को तटीय क्षेत्र में खनन करने की अनुमति दी जाती है। उपरोक्त मंजूरी में निहित शर्तों की अनुपालन के लिए निगरानी की जाती है ताकि जिम्मेदार और धारणीय खनन पद्धतियों को सुनिश्चित किया जा सके।

(ङ) उपरोक्त (क) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

*****